न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 24/2021

अपीलांट्स–	*बनाम*	रेस्पोडेंट –
1. गुमनाराम पुत्र सालगाराम 2. रामचन्द्र पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी कंटलिया का पार स्टेशन तहसील रामसर जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामसर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.06.2021 जो तहसीलदार रामसर द्वारा ग्राम कंटलिया का पार के खसरा नंबर 196/154 में से 04–06 बीघा भूमि का समर्पण स्वीकार कर पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री वीरमाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 09.02.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार रामसर द्वारा ग्राम कंटलिया का पार के खसरा नंबर 196/154 में से 04–06 बीघा भूमि का समर्पण स्वीकृति आदेश दिनांक 11.06.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा कंटलिया का पार तहसील रामसर के खेत खसरा नम्बर 196/154 रकबा 45–00 बीघा भूमि के खातेदारान गुमनाराम वल्द सालगाराम [illegible] वल्द अमराराम कौम जाट साकिन गागरिया स्टेशन [illegible] दिनांक 11.06.2021 को तहसीलदार रामसर के सम[illegible]ना–पत्र [illegible]न नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार 04–[illegible] बीघा भूमि बाबत [illegible]ना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.05.02 09:55:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

छोड़ने का निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का लगान खाता में से कम करने का आदेश फरमावें। पक्षकारान की पहचान रामचन्द्र एवं चेनाराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी गागरिया स्टेशन द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी गागरिया द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम कंटलिया का पार के खसरा नंबर 196/154 रकबा 43–18 बीघा भूमि मौके पर खाली है तथा आने–जाने के लिए डामर सड़क पर स्थित है एवं किसी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ नहीं है। इस पर तहसीलदार रामसर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.2021 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.09.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स व रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट्स खातेदारान द्वारा तहसीलदार रामसर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने में भूल हुई है। अपीलांट्स को उक्त विवादित भूखण्ड के संपरिवर्तन हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पेश करना था जबकि उनके द्वारा भूलवश समपर्ण का आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया जिस पर तहसीलदार रामसर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.2021 पारित कर दिया गया। अपीलांट्स समपर्ण व संपरिवर्तन का अर्थ नहीं समझ सके। उनका उद्देश्य भूमि का आवासीय–व्यावसायिक उपयोग हेतु आवेदन पेश करना था न कि उक्त खातेदारी भूमि को सरकार के नाम करना था। अपीलांट्स की यह भूल सद्भाविक भूल है। उक्त आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.05.02 09:55:58 IST
Reason: SelfAttested

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश के पत्रावली की नकल लेने पर दिनांक 24.08.2021 को उक्त परिस्थिति का वास्तविक ज्ञान होने की तारीख से यह अपील अन्दर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

मयाद पेश है। अतः अपीलांट्स की अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन समर्पण स्वीकृति आदेश दिनांक 11.06.2021 को निरस्त करने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि मौजा कंटलिया का पार तहसील रामसर के खेत खसरा नम्बर 196/154 रकबा 45–00 बीघा भूमि के खातेदारान गुमनाराम वल्द सालगाराम रामचन्द्र वल्द अमराराम कौम जाट साकिन गागरिया स्टेशन भीलों का पार ने दिनांक 11.06.2021 को तहसीलदार रामसर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार 04–06 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का लगान खाता में से कम करने का आदेश फरमावें। पक्षकारान की पहचान रामचन्द्र एवं चेनाराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी गागरिया स्टेशन द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी गागरिया द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम कंटलिया का पार के खसरा नंबर 196/154 रकबा 43–18 बीघा भूमि मौके पर खाली है तथा आने–जाने के लिए डामर सड़क पर स्थित है एवं किसी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ नहीं है। इस पर तहसीलदार रामसर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.2021 पारित किया गया। अपीलांट द्वारा व्यक्तिशः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी सहखातेदारी भूमि में से 04–06 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पित करते हुए कब्जा छोड़ना प्रकट किया है। अपीलांट द्वारा एक बार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो कथन किया गया है उससे भिन्न कोई कथन इस न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से विबंधित है। इस प्रकार अधनीस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती भूल नहीं की गई हैं लिहाजा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.05.02 09:55:58 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा कंटलिया का पार तहसील रामसर के खेत खसरा

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

नम्बर 196 / 154 रकबा 45–00 बीघा भूमि के खातेदारान गुमनाराम वल्द सालगाराम रामचन्द्र वल्द अमराराम कौम जाट साकिन गागरिया स्टेशन भीलों का पार ने दिनांक 11.06.2021 को तहसीलदार रामसर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार 04–06 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का लगान खाता में से कम करने का आदेश फरमावें। पक्षकारान की पहचान रामचन्द्र एवं चेनाराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी गागरिया स्टेशन द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी गागरिया द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम कंटलिया का पार के खसरा नंबर 196 / 154 रकबा 43–18 बीघा भूमि मौके पर खाली है तथा आने–जाने के लिए डामर सड़क पर स्थित है एवं किसी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ नहीं है। इस पर तहसीलदार रामसर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.2021 पारित किया गया।

8. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामसर के समक्ष अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन समर्पण पत्र पर सहमति से स्वंय हस्ताक्षर कर स्वीकृति आवेदन किया गया हैं। इस प्रकार अपीलांट्स को भूमि की समर्पण भूमि की सम्पूर्ण जानकारी होना प्रतीत होता हैं। अतः अपीलांट का यह कहना कि अपीलाधीन समर्पणनामा के वास्तविक तथ्य उनकी जानकारी में नही थे, तथा वे आवासीय संपरिवर्तन कराना चाहते थे, उचित प्रतीत नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट्स सहखातेदारान स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए है जिसकी पहचान एवं ताईद स्वतंत्र पहचानकर्ता रामचन्द्र द्वारा की गई है। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा व्यक्तिशः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी सहखातेदारी भूमि में से 04–06 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पित करते हुए कब्जा छोड़ना प्रकट किया है। अपीलांट द्वारा एक बार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो कथन किया गया है उससे भिन्न कोई कथन इस न्यायालय के समक्ष पलट करने से विबंधित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.05.02 09:55:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

10. निर्णय आज दिनांक 09.02.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.05.02 09:55:58 IST
Reason: SelfAttested